कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको. / 						लखनऊ : दिनांक 05/07/2016

नवीन

–:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–157 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या–1961 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965 / सेक–2–पॉच–16–7(255) / 2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित चिकित्सकों** को परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) के रूप में **उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय** में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने वाले अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया गया है।

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं / आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार / विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच / न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4 यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

5 पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि एक माह में सेवा में योगदान नहीं करते हैं। तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छूक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय /जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा0 राकेश कुमार खट्टर–3490	स्व0 देव राज खट्टर	05.07.1953	31.07.2013	एम0बी0बी0एस0 डी0 आर्थ0	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़
2.	डा0 रेनुका मिश्रा–5056	श्री डी0एन0 मिश्रा	27.04.1956	30.04.2016	एम0बी0बी0एस0 एम0एस0	बी0आर0डी0 चिकित्सालय, लखनऊ
3.	डा0 राम प्रकाश–8314 (क)	स्व0 महाबीर प्रसाद	01.07.1956	30.06.2016	एम0बी0बी0एस0 एम0डी0 (मेडिसिन)	बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ
4.	डा0 अशोक कुमार झां –7051	डा0 नीलाम्बर झां	30.07.1954	31.07.2014	एम0बी0बी0एस0 डी0आर्थ0	जिला चिकित्सालय, कुशीनगर
5.	डा0 राम आसरे सिंह–5897	स्व0 पारस नाथ सिंह	03.05.1956	31.05.2016	एम0बी0बी0एस0 एम0एस0 सर्जरी	जिला चिकित्सालय, चंदौली
6.	डा0 राज कुमार गुप्ता–5489 क	स्व0 देवी चरन गुप्ता	11.06.1956	30.06.2016	एम0बी0बी0एस0 एम0एस0 (जनरल–सर्जरी)	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय, लखनऊ
7.	डा0 नीरज श्रीवास्तव–6509	स्व0 श्याम बिहारी लाल श्रीवास्तव	09.08.1956	31.08.2016	एम0बी0बी0एस0 एम0डी0 (जनरल मेडिसिन)	डा0 आर0एम0एल0 चिकित्सालय, लखनऊ
8.	डा0 शशि कुमार राय–9468 क	श्री लाल बहादुर राय	01.01.1956	31.12.2015	एम0बी0बी0एस0 डी0सी0एच0	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया
9.	डा0 वेद प्रकाश–4662	श्री लाल जी सहाय श्रीवास्तव	18.01.1956	31.01.2016	एम0बी0बी0एस0 एम0एस0 (आर्थोपैडिक्स) डी0 आर्थ0	डा0 आर0एम0एल0 चिकित्सालय, लखनऊ
10.	डा0 इकबाल अहमद–8154	स्व0 अब्दुल मजीद	02.07.1956	31.07.2016	एम0बी0बी0एस0 डी0सी0एच0	ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती
11.	डा0 शिव कुमार सिंह–5549	श्री महावीर सिंह	14.05.1956	31.05.2016	एम0बी0बी0एस0 डी0सी0पी0 (पैथोलोजी)	जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद

12.	डा0 सुरेश कुमार–8222	स्व0 टेक नारायण प्रसाद	08.06.1956	30.06.2016	एम0बी0बी0एस0 डी0सी0एच0	जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र
13.	डा0 सुनहरी लाल–9136	स्व0 सीताराम	14.04.1954	30.04.2014	एम0बी0बी0एस0 डी0एम0आर0ई0	जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद (ट्रामा सेंटर)
14.	डा0 ओम प्रकाश सिंह–8687	स्व0 विश्वम्भर प्रसाद सिंह	18.06.1956	30.06.2016	एम0बी0बी0एस0 डी0वी0डी0 (स्क्रीन)	जिला चिकित्सालय, मिर्जापुर
15.	डा0 शम्भू सिंह–7114	श्री पौहारी सिंह	01.07.1956	30.06.2016	एम0बी0बी0एस0 डी0आर्थ0	जिला चिकित्सालय, महराजगंज

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक

संख्या–प्रशि.प्रको. / 4955–64 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मिशन निदेशक, एन0आर0एम0एम0, लखनऊ।
4– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5– महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नरायन रोड, लखनऊ।
6– सम्बंधित प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला (पुरूष / महिला) चिकित्सालय, उ0प्र0।
7– सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8– चिकित्सा अनुभाग–2 / 3, उत्तर प्रदेश शासन।
9– संबंधित चिकित्सक / अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर ले तथा इसकी सूचना उचित माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया जायेगा तो, यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नही है और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10–गार्ड फाइल।

5/7/16
अपर निदेशक (प्रशिक्षण)